महोबा पुलिस

साइबर सेल महोबा द्वारा ऑनलाइन ठगी के शिकार पीड़ितों के कुल 58,007/- रुपये खाते में वापस कराये गये-

आये दिन साइबर अपराधियों द्वारा आम जनता को भ्रमित कर उनसे उनके बैंक खाते एवं क्रडिट कार्ड आदि से जुडी गोपनीय जानकारी अर्जित कर यूपीआई व अन्य के माध्यम से साइबर फ्रॉड/धोखाधडी की जा रही है।

उक्त के संदर्भ मे पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम (नोडल जनपदीय साइबर सेल) के निकट पर्यवेक्षण में साइबर अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय साइबर सेल टीम महोबा द्वारा निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक महोबा को आवेदक 1. रामकिशोर पुत्र कृपाल रैकवार उम्र करीब 32 वर्ष 2. शिवचरण पुत्र भुल्ली निवासीगण डठतमाफ पोस्ट टीकामऊ थाना कोतवाली महोबा ने अपने साथ हुयी धोखाधडी के सदर्भ मे प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके क्रम मे उ0नि0 राहुल परमार के नेतृत्व में जनपदीय साइबर सैल टीम द्वारा दोनो प्रार्थना पत्रों की जाँच की गयी, जाँच के दौरान

पाया गया कि अज्ञात साइबर अपराधी द्वारा आवेदकों के साथ साइबर फ्रॉड के माध्यम से क्रमशः 15002/- रुपयें व 43005/- रुपये की ठगी कर ली गयी थी। आवेदकों के साथ हुयी साइबर ठगी में खाते से निकाली गयी धनराशि को वापस कराने हेतु त्वरित कार्यवाही करते हुये पेमेण्ट गेटवे/सम्बन्धित बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर पीडितों की सम्पूर्ण धनराशि 58,007/- रुपयें वापस करायी गयी, पीडितों द्वारा अपनी धनराशि प्राप्त होने पर खुशी जाहिर की गयी।

धनराशि वापस कराने वाली जनपदीय साइबर सेल टीमः-

1. उ0नि0 राहुल परमार (प्रभारी साइबर सेल)
2. कां0 शैलेन्द्र प्रताप सिंह
3. कां0 सत्यम सिंह जादौन
4. कां0 सुरजीत कुमार

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 15.07.2022

मीडिया सेल, महोबा

थाना अजनर पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 15.07.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेशचन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष श्री लाखन सिंह द्वारा गठित उ.नि. राधेश्याम सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गश्त व क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना हाजा पर पंजीकृत मु.अ.सं. 131/2022 धारा 498ए/304बी भादवि व ¾ डी.पी. एक्ट के वांछित अभियुक्तगण 1.महेन्द्र राजपूत पुत्र अरविन्द राजपूत उम्र करीब 25 वर्ष 2.अरविन्द राजपूत पुत्र स्व0 छेदालाल उम्र करीब 46 वर्ष निवासीगण ग्राम महुआबाँध थाना अजनर जनपद महोबा को महुआबाँध मोड से गिरफ्तार किया बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ.नि. राधेश्याम सिंह थाना अजनर जिला महोबा।
2. कां.आसवेन्द्र सिंह थाना अजनर जिला महोबा।

अपराध विवरण –

1. अभियुक्त महेन्द्र राजपूत उपरोक्त- 1. मु.अ.सं. 131/2022 धारा 498ए/304बी भादवि व ¾ डी.पी. एक्ट तथा मु.अ.सं. 14/2018 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना अजनर
2. अभियुक्त अरविन्द उपरोक्त - 1. मु.अ.सं. 131/2022 धारा 498ए/304बी भादवि व ¾ डी.पी. एक्ट

थाना अजनर पुलिस टीम ने मुकदमें से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 15.07.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेशचन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष श्री लाखन सिंह द्वारा गठित उ.नि. श्याम जी यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गश्त व क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना हाजा पर पंजीकृत मु.अ.सं. 123/2022 धारा 304 भादवि के वांछित अभियुक्तगण 1. घनश्याम राजपूत पुत्र नारायणदास राजपूत उम्र करीब 45 वर्ष 2. भज्जू राजपूत पुत्र नारायनदास राजपूत उम्र करीब 28 वर्ष निवासीगण ग्राम घिसल्ली थाना अजनर जनपद महोबा को बहद ग्राम घिसल्ली से किया, बाद आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ.नि. श्यामजी यादव थाना अजनर जिला महोबा।
2. कां.अरविन्द चौहान
3. कां.अजय यादव थाना अजनर जिला महोबा।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. घनश्याम राजपूत पुत्र नारायणदास राजपूत उम्र करीब 45 वर्ष
2. भज्जू राजपूत पुत्र नारायनदास राजपूत उम्र करीब 28 वर्ष

निवासीगण ग्राम घिसल्ली थाना अजनर जनपद महोबा

अपराध विवरण -

मु.अ.सं. 123/2022 धारा 304 भादवि थाना अजनर।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 15.07.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोंकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध की चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर के गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के धरपकड अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.07.2022 को थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री बलराम सिंह द्वारा गठित की गयी टीम उ0नि0 गणेश कुमार चौकी प्रभारी पसवारा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अभियान के तहत मु० न० 1901/08 व अ० स० 2265/08 धारा 25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित एक नफर वारंटी अभियुक्त राजेश पुत्र जगन्नाथ रैकवार उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम पसवारा थाना कोतवाली महोबा को गिरफ्तार कर मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

राजेश पुत्र जग्गनाथ रैकवार उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम पसवारा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 गणेश कुमार चौकी प्रभारी पसवारा थाना कोतवाली नगर महोबा।
2. का० अमन शर्मा 3. का० प्रमोद सिंह

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 15.07.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

श्रावण मास/कावड़ यात्रा को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के समस्त थानों द्वारा क्षेत्र के डीजे संचालकों के साथ की गयी गोष्ठी, दिये गये आवश्यक निर्देश-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में शान्ति/कानून व सुरक्षा व्यवस्था अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस टीमे सक्रिय हैं व क्षेत्र में भ्रमण/गश्त करते हुये स्थानीय लोगों के साथ गोष्ठी कर संवाद कर रही हैं।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा प्रत्येक थानाक्षेत्र में श्रावण मास/कांवड यात्रा को सकुशल, शांतिपूर्ण सम्पन्न कराए जाने के दृष्टिगत थानाक्षेत्र के डीजे संचालकों से साथ गोष्ठी आयोजित की गयी, गोष्ठी में प्रतिभाग करने वाले डीजे संचालकों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना गया व उनसे सुझाव भी मांगे गये तत्पश्चात सभी को शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया साथ ही सभी को हिदायत दी गयी कि डीजे में केवल धार्मिक भजन इत्यादि ही धीमी/निर्धारित ध्वनि तीव्रता के साथ बजायें।

सभी को निर्देशित किया गया कि असामाजिक व अराजकता फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी, यदि किसी व्यक्ति के संज्ञान में ऐसा कोई मामला आता है तो तुरंत सम्बंधित थाना पुलिस को अवगत कराएं, जिससे कि कोई अप्रिय घटना घटित न होने पाए। सोशल मीडिया पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट, भ्रामक व अफवाह पोस्ट करेगा उसके विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्यवाही की जाएगी।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 15.07.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में शांति एंव कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा।

आज दिनांक **15.07.2022** को पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रो में संवेदनशील स्थानों पर पैदल गश्त करते हुए स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखनें,अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड,रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **75** ई-चालान किये गये।